

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2023

सराहनीय कार्य थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी पुलिस

लूट की 01 मोटरसाइकिल, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 तमंचा, 02 कारतूस 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.02.2023 को उ0नि0 राम बहादुर सिंह थाना शिवरतनगंज मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान सेमरौता चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिला कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भवानी की तरफ से सेमरौता की ओर आ रहे हैं, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मंझार नइया पुल के पास वाहन चेकिंग करने लगे तभी दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा घेरकर हिकमत अमली पकड़ लिया गया । पूछने पर एक ने अपना नाम राजा सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 पेण्डरिया थाना शिवरतनगंज बताया तथा दूसरे ने अपना नाम दीपक गुप्ता पुत्र सुम्नन गुप्ता नि0 जौदिल मऊ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी बताया । राजा सिंह उर्फ लखन सिंह की तलाशी से कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व दीपक गुप्ता की तलाशी से कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर वबरामद हुआ । मोटरसाइकिल हीरो स्ट्रीम बिना नंबर के कागज मांगने पर दिखा न सके ।

पूछताछ में दोनो ने बताया कि हम दोनो अपने दोस्त नीरज गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता नि0 कस्बा व थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर के साथ मिलकर इसी मोटरसाइकिल हीरो स्ट्रीम बिना नंबर से दिनांक 26.02.2023 को रात करीब 09 बजे खण्डासा मोड़ के पास एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल, मोबाइल व 2500/ रुपये नगद छीन लिये थे । छीनी गयी मोटरसाइकिल को हमलोग अग्निहोत्री कालेज की बाउण्ड्री के पास आड़ में छुपा दिये हैं । पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही पर 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर अग्निहोत्री कालेज की बाउण्ड्री के पास आड़ से बरामद हुई । दोनो को समय करीब 11.10 बजे हिरासत में लिया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजा सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 पेण्डरिया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. दीपक गुप्ता पुत्र सुम्नन गुप्ता नि0 जौदिल मऊ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 46/23 धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 26/23 धारा 392 भादवि थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।

बरामदगी-

1. लूट की 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर
2. लूट की 01 अदद मोबाइल फोन,
3. 01 तमंचा, 02 कारतूस 315 बोर
4. 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर
5. मोटरसाइकिल हीरो स्ट्रीम बिना नंबर (207 एमवी एक्ट) लूट की घटना में प्रयुक्त ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राम बहादुर सिंह थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 राजेश यादव थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
3. का0 सौरभ वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
4. का0 पवन कुमार पंकज थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 नरेश वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

राजा सिंह उर्फ लखन सिंह

1. मु0अ0सं0 88/22 धारा 323,504,506 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 26/23 धारा 392 भादवि थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।

दीपक गुप्ता-

1. मु0अ0सं0 26/23 धारा 392 भादवि थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।